

यूरोपीय संघ ने क्रपि्टो वनियिमन हेतु MiCA की शुरुआत की

परलिमिस के लिये:

<u>करपिटोकरेंसी, वरचुअल डिजिटिल एसेटस, बटिकॉइन</u>

मेन्स के लियै:

<u>करपिटोकरेंसी बाज़ार में नियामक चुनौतियाँ</u>, क्रिप्टो करेंसी एवं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, <u>करपिटोकरेंसी और मनी लॉनडरिंग, करपिटो के परति</u>

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **यूरोपीय संसद ने क्रिप्टो संपत्ति बाज़ार (Markets in Crypto Assets- MiCA) <mark>वनियमन को मंज़ूरी दे</mark> दी है, यह नियमों का विश्व का** The Vision पहला वयापक समृह है जिसका लकषय बड़े पैमाने पर अ**नयिमति करपिटोकरेंसी बाजारों को सरकारी वनियमन के तहत लाना है।**

- यह विनयिमन सदस्य देशों के औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा।
- यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का विधायी निकाय है।

MiCA:

- परचिय:
 - MiCA क्रपिटो फर्मों हेतु वनियिमन प्रथाओं को लाएगा । क्रपिटो फर्मों को वनियिमति करके MiCA वित्तीय क्षेत्र में जैसे- राउट एवं कन्टेजन को रोक सकता है जो अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावति कर सकते हैं।
 - "राउट" का अर्थ है, जब लोग भय के कारण क्रिपटोकरेंसी बेचते हैं तो कीमतों में तेज़ी से गरिावट आती है।
 - "कन्टेजन" इस संभावना को संदर्भित करता है कि एक **बाज़ार में गरिावट का अन्य बाज़ारों, वितृतीय संस्थानों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था** पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- करपिटो संपतति के प्रकार के आधार पर करपिटो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPS) हेतु विनयिमन आवश्यकताओं के विभिन्न समूहों को नरिधारति करता है।
- MiCA के अंतर्गत आने वाली संपत्तियाँ:
 - MiCA कानून करपिटो परसिंपतृतयों पर लागू होगा, यह मुख्यतः "एक मुलय या अधिकार का डिजिटिल परतिधितित्व है, जो सुरक्षा हेतु क्रिप्टोग्रा<mark>फी का उपयो</mark>ग करता है और एक सिक्के या टोकन या किसी अन्य डिजिटिल माध्यम के रूप में होता है तथा जिसे स्थानांतरति किया जा सकता है, साथ ही <u>वितरित बहीखाता तकनीक</u> या इसी तरह की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से संगरहीत कथा जाता है।
 - ॰ इस परिभाषा का तात्पर्य है कि यह न केवल <u>बटिकॉइन</u> और एथेरियम जैसी पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होगा, बल्कि<u>सटेबलकॉइनस</u>जैसी नई क्रिप्टोकरेंसी पर भी लागू होगा।
 - MiCA तीन प्रकार के स्टेबलकॉइन्स के लिये नए नियम भी स्थापित करेगा।
- संपत्तियाँ जो MiCA के दायरे से बाहर होंगी:
 - o MiCA उन **डिजटिल संपत्तियों को विनियमित नहीं करेगा जो हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों के रूप में योग्य होंगी और शेयरों** या उनके समकक्ष तथा अन्य क्रिप्टो संपत्तियों की तरह कार्य करेंगी एवं जो पहले से ही मौजूदा वनियमन के तहत वित्तीय साधनों के रूप में योग्य हैं।
 - ॰ यह <u>नॉन-फंजबिल टोकन (NFT)</u> को भी बाहर कर देगा।
 - MiCA यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटिल मुदराओं और यरोपीय संघ के सदसय देशों के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों

द्वारा जारी की गई डिजिटिल संपत्तियों को भी **नियंत्रित नहीं करेगा**, जब वे मौद्रिक अधिकारों के रूप में अपनी क्षमता के साथ प्रदान की जाने वाली क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित सेवाओं के रूप में कार्य करेगा।

- MiCA के तहत नए नियम:
 - ∘ CASP का वनियिमन:
 - CASP को यूरोपीय संघ में एक कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
 - वे किसी एक सदस्य देश में अधिकृत हो सकते हैं और सभी 27 देशों में काम कर सकते हैं।
 - यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण जैसे नियामक CASP की निगरानी करेंगे।
 - CASP को स्थरिता, सुदृढ़ता और उपयोगकर्त्ता निधियों को सुरक्षति रखने की क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिय।
 - CASP को बाज़ार के दुर्पयोग और हेर-फेर से बचाव करने में सक्षम होना चाहिये।
 - ॰ स्टेबलकॉइन सेवा प्रदाताओं के लिये श्वेत पत्र की आवश्यकता:
 - स्टेबलकॉइन सेवा प्रदाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और कंपनी में मुख्य प्रतिभागियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी के साथ एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिये। इसमें जनता के लिये प्रस्ताव की शर्तें, उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले ब्लॉकचेन सत्यापन तंत्र का प्रकार, प्रश्न में क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े अधिकार, निवशकों के लिये शामिल प्रमुख जोखिम और संभावित खरीदारों को उनके निवश के संबंध में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिये एक सारांश होना चाहिये।
 - ॰ स्टेबलकॉइन जारीकर्त्ताओं के लिये आरक्षति संपत्ति की शर्तः
 - स्टेबलकॉइन जारीकर्त्ताओं को तरलता संकट से बचने के लिये उनके मूल्य के अनुरूप पर्याप्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
 - स्टेबलकॉइन उपयोगकर्त्ताओं के लिये अपर्याप्त भंडार का अप्रत्याशति प्रभाव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक क्षति हो सकती है।
 - ॰ स्टेबलकॉइन फर्मों (गैर-यूरो मुद्राओं) के लिये लेन-देन की सीमाएँ:
 - गैर-यूरो मुद्राओं से जुड़ी स्थिर मुद्रा फर्मों को एक निदिष्ट क्षेत्र में €200 मिलियिन (\$220 मिलियिन) की दैनिक लेन-देन सीमा (Daily Volume) के साथ निर्धारित करना होगा।
 - लेन-देन की **सीमा का उददेश्य स्टेबलकॉइन से जुड़े जोखिमों और वित्तीय <mark>स्थरिता पर</mark> उनके प्रभाव का प्रबंधन करना है।**
 - · क्रिप्टो कंपनियों के लिये एंटी-मनी लॉन्ड्रिग उपाय:
 - मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों को रोकने के लिये क्रिंपिटो कंपनियों को अपने स्थानीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण को क्रिंपिटो संपत्ति के प्रेषकों एवं प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में जानकारी भेजनी चाहिये।
 - एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता क्रिप्टो कंपनियों की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।
 - ॰ कानून की आवश्यकता:
 - वैश्विक क्रिप्टो उद्योग का लगभग 22% मध्य, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप (\$1.3 ट्रिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति)
 में केंद्रित है, MiCA जैसा एक व्यापक ढाँचा है जिससे अमेरिका या ब्रिटेन की तुलना में यूरोपीय संघ को अपने विकास में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मिलिगी।
 - बढ़ते नविश और क्रिप्टो उद्योग के आकार ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं को स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये क्रिप्टो फर्मों
 में शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया है।
 - ॰ महत्त्वः
 - यह FTX (Futures Exchange) संकट के बाद भी क्षेत्र में अपने विश्वास को बहाल करते हुए उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से सुरक्षित रखेगा। यह **क्रिएटो संपत्ति और CASP जारीकर्त्ताओं के लिये** अनुपालन सुनश्चित करेगा।

क्रिप्टोकरेंसी को वनियिमित करने के मामले में भारत की स्थितिः

- क्रिप्टो संपत्तियों के लिये भारत के पास अभी तक एक व्यापक नियामक ढाँचा नहीं है हालाँकि इस पर एक मसौदा कानून कथित तौर पर काम कर रहा है।
- वर्ष 2017 में RBI ने चेतावनी जारी की कि आभासी मुद्राएँ/क्रिप्टोकरेंसी भारत में कानूनी निविदा नहीं हैं।
 - ॰ हालाँक आभासी मुद्राओं पर कोई प्रतबिंध नहीं लगा।
- वर्ष 2019 में RBI ने जारी किया कि क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार, धारण अथवा हस्तांतरण/उपयोग भारत में वित्तीय दंड या/और 10 वर्ष तक के कारावास की सज़ा के अधीन है।
 - ॰ सर्वोच्च नुयायालय ने वर्ष 2020 में भारत में RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया।
- वर्ष 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2022-23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी आभासी मुद्रा/क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति
 का हस्तांतरण 30% कर कटौती के अधीन होगा।

- ॰ जुलाई 2022 में RBI ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय व्यवस्था के लिये **'अस्थिर प्रभाव**' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
- ॰ भारत ने दिसंबर 2022 में अपनी संट्रल बँक डिजिटल करंसी (CBDC) अथवा ई-रुपया लॉन्च किया। यह अभी अपने पायलट/आरंभिक चरण में है।
- सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीकी के उपयोग और सेंट्रल बैंक डिजिटिल मुद्रा (CBDC) जारी करने की संभावना का पता लगाने के लिये एक पैनल भी सथापित किया है।
 - हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट अधिसूचना के माध्यम से आभासी डिजिटिल परिसंपत्ति (VDA) अथवा क्रिप्टोकरेंसी को PMLA के तहत शामिल किया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

[?|?|?|?|?|?|?|?]:

प्रश्न. "ब्लॉकचेन तकनीकी" के संदर्भ में निम्नलिखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- 1. यह एक सारवजनकि खाता है जिसका हर कोई निरीकषण कर सकता है, लेकिन जिसे कोई भी एक उपयोगकरतता नियंतरित नहीं करता।
- 2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समुचा डेटा क्रिप्टो करेंसी के विषय में है।
- 3. ब्लॉकचेन के आधारभुत विशेषताओं पर आधारित अनुपरयोगों को बिना किसी की अनुमति के विकसित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर: d

|?||?||?||?||:

प्रश्न. चर्चा कीजिय की किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये (2021)

स्रोतः द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eu-introduces-mica-for-crypto-regulation